न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 126 / 2023
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र रावताराम जाति नाई साकिन खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/3/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 19/18 की कुल 10.8240 हैक्ट भूमि मे से 115/1968 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम इन्द्राज पुत्र रावताराम दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र रावताराम है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पैनकार्ड कार्ड आदि में दर्ज है तथा रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 10/50 में वादी का सही नाम राजेन्द्र दर्ज। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम राजेन्द्र है जबकि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज गलत दर्ज हो गया वादी का अन्य वाद भूमि रोही मौजा खोपड़ा में नाम सही दर्ज है। उक्त वादी भूमि में नाम गलत दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र,, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम राजेन्द्र है। अतः [illegible] वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम राजेन्द्र पुत्र रावताराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 19/18 की कुल 10.8240 हैक्ट भूमि मे से 115/1968 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी का नाम इन्द्राज पुत्र रावताराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रावताराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पैनकार्ड कार्ड आदि में वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र रावताराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 19/18 की कुल 10.8240 हैक्ट भूमि मे से 115/1968 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी इन्द्राज पुत्र रावताराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रावताराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्राज पुत्र रावताराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्राज पुत्र रावताराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम इन्द्राज पुत्र रावताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 126 / 2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र रावताराम जाति नाई साकिन खोपड़ा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 126 सन 2023 निर्णय दिनांक – 20/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 19 / 18 की कुल 10.8240 हैक्ट भूमि मे से 115 / 1968 हिस्सा भूमि वादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम इन्द्राज पुत्र रावताराम के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र रावताराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच इन्द्राज पुत्र रावताराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का इन्द्राज पुत्र रावताराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम इन्द्राज पुत्र रावताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:01 IST
Reason: SelfAttested